

22. 8. 23 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, दस्तावेज एवं पञ्चारी रिपोर्ट पर मनन किया। प्रार्थी/कादी का उक्त रकबा जरिए बैपनामा खरीदशुदा है। बैपनामा अनुसार कादी का नाम लमिन्नासिंह दर्ज रिपोर्ट होना था और अन्य साक्ष्य सुरेन्द्रसिंह बताते हैं। बैपनामा की प्रविष्टि को परिवर्तित करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

अतः उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का दस्तवेज/परिवर्तित अपेक्षित नहीं है। काद-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2

उपरवण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर